

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

NOTIFICATION

New Delhi, the, 30.12.2024

S.O. (E) .- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) read with sub-rule (2) of rule 12 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government now recognizes, M/s Mitra S.K. Private Limited, Door No. 8-45-9/2/1/B,C, Vidyanagar Colony, 4th Lane, Near Old CBI Down, Visakhapatnam, Andhra Pradesh – 530003, (hereinafter referred to as the said agency), as an agency for three years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the inspection of Minerals & Ores, Group-I, namely, Iron Ore, Manganese Ore, Ferromanganese and Bauxite, and Group-II, namely, Chrome Ore including Chrome Concentrate, as specified in the Schedule annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, published in the Official Gazette vide number S.O.3975 dated 20th December, 1965 and S.O. 3978 dated 20th December, 1965 respectively, before export of the said Minerals and Ores at Visakhapatnam Port, Gangavaram Port, Kakinada Port and Krishnapatnam Port subject to the following conditions, namely: -

(i) the said agency shall extend adequate cooperation and assistance to the officers nominated by the Export Inspection Council on this behalf to carry out the inspection specified under rule 4 of the Export of Minerals and Ores – Group I (Inspection) Rules, 1965 and Export of Minerals and Ores – Group II (Inspection) Rules, 1965;

(ii) the said agency, in performance of their function as specified in this notification, shall be bound by such directions, as the Director (Inspection and Quality Control), Export Inspection Council may give, in writing from time to time.

[F. No. K-16014/11/2024 - Export Inspection]


30/12/24

(Siddharth Mahajan)

Joint Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड -3, उप खंड(ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30-12-2024

का.आ.- केन्द्रीय सरकार, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 12, के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स मित्रा एस. के. प्राइवेट लिमिटेड, द्वार संख्या 8-45-9/2/1/बी.,सी., विद्यानगर कॉलोनी, चौथी लेन, पुराने सीबीआई डाउन के पास, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश -530003 (जिसे एतदपश्चात् उक्त अभिकरण कहा जायेगा), को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष के लिए, वाणिज्य मंत्रालय की शासकीय राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना के साथ अनुसूची में निर्दिष्ट दिनांक 20 दिसम्बर, 1965 की अधिसूचनाकी सं०का.आ. 3975 तथा दिनांक 20 दिसम्बर, 1965 की अधिसूचना सं० का.आ.3978 के तहत प्रकाशित अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिज और अयस्क समूह-1, अर्थात् लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, फेरोमैंगनीज और बाक्साइट और समूह -II, अर्थात् क्रोम अयस्क सहित क्रोम कंसन्ट्रेट, के निर्यात से पूर्व निम्नलिखित शर्तों के अधीन विशाखापट्टनम पत्तन, गंगावरम पत्तन, काकीनाडा पत्तन और कृष्णापट्टनम पत्तन, में उक्त खनिज और अयस्क के निरीक्षण करने के लिए एक अभिकरण के रूप में मान्यता देती है, अर्थात् :

(i) यह अभिकरण, खनिज और अयस्क समूह-1 का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 तथा खनिज और अयस्क समूह-II का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 के अधीन निरीक्षण की पद्धति की जाँच करने के लिये निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा निमित्त अधिकारियों को पर्याप्त सहयोग और सहायता प्रदान करेगी;

(ii) यह अभिकरण, इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट अपने कार्यों का निष्पादन करने के लिए, निदेशक (निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर, लिखित रूप में, दिए गए निर्देशों से आबद्ध होंगी ।

[फा.सं. के-16014/11/2024 - निर्यात निरीक्षण]

सिद्धार्थ 30/12/24

(सिद्धार्थ महाजन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार